

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 1981/पौष 23, 1902

No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 1981/PAUSA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1981

का. नि. आ. 6(अ).—सशस्त्र सेना (अपास्त ड्यूटिया) अभिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 14 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 13-ई, तथा 11 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 17 के अन्तर्गत में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, संभरण, संचालन और अनुरक्षण तथा पाइप

लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने से संबंधित प्रत्येक सेवा को 14 जनवरी, 1981 से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती हूँ ।

[फाइल सं. 2(35)/80/डी. (जी एस-1)]

के. ए. नम्बियार, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1981

S.R.O. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 13-E dated the 14th November 1980 and S.R.O. No. 17-E dated the 11th December 1980, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 14th January 1981.

[F. No. 2(35)/80/D(GS.I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy. (G)